

### केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व : वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09

#### प्रस्तावना

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को निधिपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि बहुत हद तक कर आधारों और कर दरों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों- जो कर के स्तर और वितरण को प्रभावित करते हैं- का भी एक कार्य है। इन उपायों को कभी-कभी "कर तरजीह" भी कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है (अर्थात् इनकी एक लागत होती है) और ये सरकार के नीतिगत विकल्पों को परिलक्षित करते हैं।

कर तरजीहों को अधिमानी करदाताओं को सब्सिडी भुगतानों के रूप में देखा जा सकता है। इन अन्तर्विष्ट भुगतानों का "कर व्ययों" के रूप में उल्लेख किया जाता है और प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मद्दों के रूप दर्शाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मूल मुद्दा कर नीति का नहीं वरन् सक्षमता और पारदर्शिता का है - कार्यक्रम आयोजना में यह अपेक्षित है कि नीतिगत उद्देश्यों को सुस्पष्ट रूप से सामने लाया जाए; और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे परिव्ययों को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कर व्यय कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

कर व्यय अथवा परित्यक्त राजस्व विवरण, पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हुई। इससे कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इशारे को भी विश्वसनीयता प्राप्त हुई।

इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पिछले तीन वर्ष की भाँति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केन्द्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान कर अधिमानताओं की अधिकांश मद्दों के सम्बन्ध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए है और यही वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, 2007-08 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों अथवा 2008-09 के अनंतिम आंकड़ों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में अप्रैल-सितंबर और सीमा शुल्क के मामले में पूरा वर्ष) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व हानि का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्यय के अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किए गए:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे गए होते हैं। ये अनुमान अत्यावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये गए हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत का निर्धारण यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। स्पष्ट शब्दों में, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य क्रिया सिविल प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित परित्यक्त राजस्व से भिन्न हो सकता है।

विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

#### प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करने, निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचा सुविधाओं की स्थापना; रोजगार, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान और ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूँजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था होती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कुछ मुख्य कर व्यय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।

#### क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2007-08 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2008-09) के लिए 31 दिसम्बर, 2009 तक 4,10,451 कम्पनियों<sup>1</sup> से इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई। कर व्यय का आकलन लगाने के प्रयोजन के लिए इन 4,10,451 कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़े आयकर विभाग के डेटाबेस से प्राप्त किए गये।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आये:

- कम्पनियों ने करों<sup>2</sup> से पहले 7,11,557 करोड़ रुपये का मुनाफा होने की सूचना दी है (लगभग एक तिहाई कम्पनियों द्वारा नुकसान होने की सूचना दी गई) परन्तु वित्त वर्ष 2007-08 (वित्त वर्ष 2008-09 में विवरणियां प्रस्तुत करने के निमित्त) के दौरान 4,79,898 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय)<sup>3</sup> घोषित की।
- इन कम्पनियों ने उसी वित्त वर्ष के दौरान 1,58,225 करोड़ रुपये की राशि (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) कॉरपोरेट कर के रूप में अदा की है।
- इन कम्पनियों ने उसी वित्त वर्ष के दौरान अनुषंगी लाभकर के रूप में 6,533 करोड़ रुपये तथा लाभांश वितरण कर के रूप में 10,670 करोड़ रुपये की राशि भी अदा की है।

<sup>1</sup> वित्त वर्ष 2006-07 के लिए संम्पल आकार 3,28,061 था।

<sup>2</sup> इसमें नुकसान उठाने वाली कम्पनियां शामिल नहीं हैं।

<sup>3</sup> आयकर विवरणी में यद युक्त-आय" कराधेय आय का निरूपण करती है जैसा कि सामान्य बोल-चाल में अर्थ लगाया जाएगा।

सारणी 1 में मुनाफा रेंज वाली सेम्पल कम्पनियों की रूपरेखा दी गई है। सम्पूर्ण सेम्पल की प्रभावी कर दर<sup>4</sup> 22.24<sup>5</sup> प्रतिशत रही। (2006-07 में 20.60 प्रतिशत की दर के मुकाबले) जो 33.99 प्रतिशत की सांविधिक कर दर से काफी कम थी। 500 करोड़ रुपये और इससे अधिक के मुनाफे वाली कुल 190 कम्पनियों ने करों से पहले (इसके बाद पीबीटी) कुल मुनाफे के 54.98 प्रतिशत और कुल देय कॉरपोरेट आयकर के 54.02 प्रतिशत का योगदान किया। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर केवल 21.85 प्रतिशत रही जो एक करोड़ रुपये तक के कर-पूर्व मुनाफे वाली सेम्पल कम्पनियों की 24.04 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की तुलना में थी।

एक करोड़ रुपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ में कुल आय का अनुपात कुल सेम्पल (67.44 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (76.93 प्रतिशत) है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

**सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2007-08) (सेम्पल आकार-410451)**

क्रम सं.	कर-पूर्व मुनाफा	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व मुनाफों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	देय कुल कम्पनी आय कर में हिस्सा (% में)	कर-पूर्व मुनाफों में कुल आय का अनुपात (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	शून्य से कम	144170	0.00	0.27	0.24	-	-
2	शून्य	31591	0.00	5.46	1.97	-	-
3	0-1 करोड़ रुपए	211723	3.16	3.61	3.42	76.93	24.04
4	1-10 करोड़ रुपए	18117	7.73	7.55	7.81	65.87	22.46
5	10-50 करोड़ रुपए	3433	10.27	9.22	9.76	61.05	21.14
6	50-100 करोड़ रुपए	611	5.96	4.99	5.40	56.38	20.14
7	100-500 करोड़ रुपए	616	17.86	15.94	17.35	60.19	21.59
8	500 करोड़ रुपए से अधिक	190	54.98	52.85	54.02	64.83	21.85
9	सभी नमूना कम्पनियां	410451	100.00	100.00	100.00	67.44	22.24

सारणी 1 के आंकड़े स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि वितरण के मध्य वाली कम्पनियां अर्थात् कर पूर्व 10 और 500 करोड़ रुपए के बीच कर पूर्व मुनाफों वाली कम्पनियां सबसे कम कर का भुगतान कर रही हैं। इन कम्पनियों की प्रभावी कर दरों सम्पूर्ण नमूने की तुलना में कम हैं।

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूपरेखा दी गयी है। 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 44.60 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 19.90 प्रतिशत और कुल प्रदत्त कर का 22.13 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में, बहुत बड़ी संख्या में कम्पनियों (2,29,314) ने अपने लाभ के संबंध में कर के गैर-समानुपातिक रूप में कम राशि का योगदान किया। मजे की बात यह है कि 43,886 कम्पनियों, जिन्होंने कुल लाभ में 14.30 प्रतिशत और कुल कर में 25.49 प्रतिशत का योगदान किया है, की प्रभावी कर दर सांविधिक दर की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार कम्पनियों के बीच कर देयता असमान रूप से बंटी हुई है। यह असमानता कानून के अन्तर्गत विभिन्न कर अधिमानों के कारण है।

**सारणी 2 : नमूना कम्पनियों के प्रभावी कर-दर की रूपरेखा\* (वित्तीय वर्ष 2007-08) (सेम्पल आकार-410451)**

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल आय में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल देय कर में हिस्सा (प्रतिशत में)
1	शून्य से कम और शून्य	161916	1.87	0.47	0.24
2	0-20	67398	44.60	19.43	21.89
3	20-25	13168	9.38	9.90	9.44
4	25-30	20355	9.85	12.33	12.19
5	30-33.99	72137	19.98	28.15	28.74
6	33.99 से अधिक	43886	14.30	24.23	25.49
7	अनिर्धारित	31591	0.00	5.46	1.97
8	सभी नमूना कम्पनियां	410451	100.00	100.00	100.00

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

<sup>4</sup> कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदर्भ कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर वं अनुषंगी लाभ कर शामिल नहीं) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

<sup>5</sup> लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 23.74 प्रतिशत थी।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है फिर भी यह स्पष्ट है कि सरकारी कम्पनियां निजी कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देती हैं। इस प्रकार, निजी क्षेत्र में सरकार की बहुत बड़ी राशि कर व्यय के रूप में खर्च करनी पड़ती है।

#### सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सेम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर\* (वित्त वर्ष 2007-08) (सेम्पल आकार-409473)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा(% में)	कुल भुगतान योग्य में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सरकारी	1808	21.58	24.94	25.69
2	निजी	407765	78.42	75.06	21.28
	जोड़	409573	100.00	100.00	22.24

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 4 में सेम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र की तथा सेवा क्षेत्र के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। उल्लेखनीय यह है कि हालांकि विनिर्माण क्षेत्र की सेवा क्षेत्र की अपेक्षा अधिक प्रभावी कर दर है और यह अधिक कर का भुगतान कर रहा है परन्तु इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर 33.99 प्रतिशत की सांविधिक दर से काफी कम है।

#### सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सेम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर (वित्त वर्ष 2007-08) (सेम्पल आकार-409573)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा(% में)	कुल भुगतान योग्य कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	114473	50.98	51.48	22.46
2	सेवा	295100	49.02	48.52	22.00
	जोड़	409573	100.00	100.00	22.24

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योगवार वितरण सारणी के अन्त में परिशिष्ट में दिया गया है। उसके अवलोकन से यह पता चलता है कि कमोवेश सभी उद्योगों की प्रभावी कर दर सांविधिक स्तर से कम है परन्तु यह सूचना प्रोटोकॉल की समर्थित सेवा प्रदाताओं और बीपीओ सेवा प्रदाताओं तथा सोफ्टवेयर विकास एजेन्सियों के लिए सबसे कम है जो क्रमशः 15 प्रतिशत और 12 प्रतिशत है। इन दोनों उद्योगों का योगदान कुल लाभों का **5.66 प्रतिशत किन्तु कुल करों का केवल 3.46 प्रतिशत है।**

सेम्पल कम्पनियों द्वारा दावा किए गए प्रत्येक कर रियायत पर परित्यक्त कर, प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.99 प्रतिशत की कार्पोरेट कर दर का उपयोग करते हुए, परिकलित की गई है। त्वरित मूल्य हास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती; तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की पात्र परियोजनाओं/योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती के कारण परित्यक्त राजस्व पहले कम्पनियों को हुए लाभ हानि खातों के नामे डाले गए मूल्य हास/कटौती तथा आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञा मूल्य हास/कटौती के मध्य अन्तर को निर्धारित करते हुए परिकलित किया गया है। इसके पश्चात् परित्यक्त राजस्व की राशि के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, 33.99 प्रतिशत की कार्पोरेट कर दर को इस अन्तर के लिए लागू किया गया है।

कंपनियों के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य होने के कारण, इन 410451 कंपनियों के मामले में राजस्व परित्याग कार्पोरेट क्षेत्र में कुल राजस्व परित्याग का प्रतिनिधित्व करता है।

वित्त वर्ष 2007-08 के राजस्व परित्याग संबंधी आंकड़ों के आधार पर, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2008-09 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2007-08 में संग्रहित वास्तविक कर (1,92,911 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके और फिर 2008-09 में वास्तविक कार्पोरेट कर संग्रहण (2,13,823 करोड़ रुपए) पर इसी अनुपात को लागू करके 2008-09 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। सारणी 5 वित्त वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से कार्पोरेट करदाताओं का प्रमुख कर व्यय दर्शाती है।

## सारणी 5: वित्त वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय(नमूना आकार-410451)

क्रम सं.	प्रोत्साहन का नाम	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2007-08)	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2008-09)
1	एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	10590	11734
2	ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	13	14
3	सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क और 10कक)	1103	1222
4	ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती धारा 10क)	49	54
5	एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती धारा 10क)	23	25
6	निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईओयू) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख)	6565	7274
7	कलानात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10खक)	39	43
8	त्वरित मूल्य ह्रास (धारा 32)	12946	14344
9	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/धारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) एवं (2कख)	2000	2216
10	जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती (धारा 35कग)	31	34
11	धमार्थ न्यासों और का संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	3882	4301
12	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक)	1	1
13	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	7	8
14	कृतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ)	शून्य	शून्य
15	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	1712	1897
16	सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	243	269
17	दूसरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	5472	6063
18	बिजली के उत्पादन, वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	5776	6400
19	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	66	73
20	सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झकख)	1607	1781
21	लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	234	259
22	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	252	279
23	जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	1031	1142
24	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	221	245
25	मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेशन सेंटर से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	13	14
26	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	40	44
27	खनिज तेल के उत्पादन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	2803	3106

क्रम सं.	प्रोत्साहन का नाम	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2006-07)	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2007-08)
28	आवास परियोजनाओं से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80ञ्च)	1543	1710
29	कोल्ड चेन फेसिलिटी के प्रचालन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80ञ्च)	4	4
30	खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80ञ्च)	15	17
31	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80ञ्च)	29	32
32	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80ञ्च)	1	1
33	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80ञ्चग)	922	1022
34	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80ञ्चग)	31	34
35	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80ञ्चग)	1178	1305
36	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80ञ्चग)	1652	1830
37	जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा-80ञ्जक)	72	80
38	नए कामगारों को रोजगारों के संबंध में कटौती (धारा-80ञ्जकक)	24	27
39	अपतटीय बैंकिंग यूनिटों (ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक)	9	10
	<b>कुल</b>	<b>62199</b>	<b>68914</b>

वर्ष 2007-08 के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़े पिछले वर्ष 58,665 करोड़ रुपए अनुमानित थे, अब ये 62,199 करोड़ रुपए अनुमानित हैं जो 6.02 प्रतिशत अधिक हैं। सारणी 5 की महत्वपूर्ण विशेषता परित्यक्त राजस्व में बढ़ोतारी तेजी से गिरावट के कारण 2006-07 में 7,396 करोड़ रुपए से 2007-08 में 12,946 करोड़ रुपए हो गई है। यह तीव्र वृद्धि शायद इस वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा किए गए अधिक नए निवेशों की सूचक है। इसके अतिरिक्त जबकि वित्त वर्ष 2008-09 के लिए परित्यक्त राजस्व धारा 10क और 10कक के अंतर्गत एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ में कटौती 1222 करोड़ रुपए अनुमानित है, वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान एसईजेड से निर्यात वित्त वर्ष 2007-08 की तुलना में लगभग दोगुने हो गए हैं। इस परिवर्तन को हिसाब में लेते हुए इस बात पर भी बल देने की आवश्यकता है कि वित्त वर्ष 2008-09 के लिए एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ में कमी होने के कारण परित्यक्त अनुमान से कम है।

#### ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कारपोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 4,62,053 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। 31 मार्च, 2009 तक 4,62,053 फर्मों/एओपी/बीओआई ने अपनी विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की थी। उनको वित्त वर्ष 2007-08 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समस्ति द्वारा संदर्भ कर तकरीबन 90 प्रतिशत बैठता है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आएः

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 40,664 करोड़ रुपए की सूचना दी (नमूना के तकरीबन एक तिहाई द्वारा हानि की सूचना दी गई) परंतु सिर्फ 27,809 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। (वित्त वर्ष 2008-09 में दर्ज करने के लिए)
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने इसी वित्त वर्ष के दौरान आयकर के रूप में (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) 12,267 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उनके मामले में प्रभावी कर दर<sup>6</sup> 18.25% बनती है।
- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने इसी वित्त वर्ष के दौरान अनुषंगी लाभ कर के रूप में 473 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया।

<sup>6</sup> फर्मों/एओपी/बीओआई के मामले में प्रभावी कर दर कर पूर्व कुल लाभ में प्रदत्त कुल करों का अनुपात है (अधिभार और शिक्षा उपकर को मिलाकर परन्तु अनुषंगी लाभ कर को छोड़कर) और इसे प्रतिशतांक में दिखाया गया है।

नमूना फर्मो/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर कर परित्याग की गणना द्वारा कटौती की राशि पर 33.66% की आयकर दर लागू की गई है। पहले लाभ में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और फर्मो/एओपी/बीओआई के हानि के खातों एवं आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमत मूल्यहास, / कटौती के बीच अंतर का निर्धारण करके त्वरित मूल्यहास, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती, तथा जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं/ योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती की मद में राजस्व परित्याग की गणना की गई है। इसके पश्चात, राजस्व परित्याग का आंकड़ा प्राप्त करने हेतु, इस अंतर पर 33.66% की आयकर दर लागू की गई है। तत्पश्चात, परित्यक्त राजस्व के आंकड़े निकालने के लिए इस अंतर पर 33.99 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है।

यद्यपि सकल संदर्भ कर की दृष्टि से नमूना फर्मो/एओपी/बीओआई ऐसी कुल संस्थाओं के 90% का ही प्रतिनिधित्व करती है, इन नमूना फर्मो/एओपी/बीओआई के कारण राजस्व परित्याग को इस क्षेत्र में कुल राजस्व परित्याग के रूप में लिया गया है। इस सीमा तक परित्यक्त राजस्व कम आंका गया हो सकता है।

वित्त वर्ष 2007-08 के राजस्व परित्याग आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2008-09 में फर्मो/एओपी/बीओआई से संग्रहीत वास्तविक कर (13,748 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष में प्रत्येक कर प्रोत्साहन का कर राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके और फिर 2007-08 में आयकर संग्रहण के संशोधित अनुमान (12,829 करोड़ रुपए) के इसी अनुपात को लागू करके 2008-09 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। सारणी-6 वित्त वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से गैर कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय दर्शाती है। जैसा कि देखा जा सकता है, अधिकतम कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झख के अंतर्गत कटौती के कारण है।

**सारणी 6: वित्त वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान नमूना फर्मो/एओपी/बीओआई पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकास-332246)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2007-08)	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2008-09)
1	एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	51	55
2	ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	1	1
3	सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क और 10क्क)	260	278
4	ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	9	10
5	एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	11	12
6	निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईआ.यू.) के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख)	461	494
7	कलात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10खक)	17	18
8	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	419	449
9	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) एवं(2कख)	2	2
10	जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती(धारा 35कग)	19	20
11	पूण्यार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	101	108
12	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक)	शून्य	शून्य
13	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	शून्य	शून्य
14	कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा जलयान अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ)	शून्य	शून्य
15	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	72	77
16	सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती(80झक)	16	17
17	दूसरंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	1	1
18	बिजली के उत्पादन और पारेषण वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80छ)	7	7
19	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	शून्य	शून्य

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2006-07)	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2007-08)
20	सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	14	15
21	लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	90	96
22	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	354	379
23	जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	141	151
24	पिछले जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झाँख)	74	79
25	मल्टीलेव्स थिएटर और कन्वेशन सेंटर से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	3	3
26	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	1	1
27	खनिज तेल के उत्पादन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	10	11
28	आवास परियोजनाओं से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	1483	1588
29	कोल्ड चेन फेसिलिटी के प्रचालन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	1	1
30	खाद्यान्नों की हॉडलिंग, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	2	2
31	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण परिक्षण और पैकेजिंग से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	2	2
32	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँख)	1	1
33	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँग)	159	170
34	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँग)	8	9
35	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँग)	161	172
36	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झाँग)	317	340
37	जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा-80जत्रक)	4	4
38	अपतटीय बैंकिंग यूनिटों (ओबीयू) और अंतराष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक)	शून्य	शून्य
39	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	507	543
	जोड़	<b>4779</b>	<b>5116</b>

**ग. व्यष्टि करदाता:**

आयकर अधिनियम के अध्याय viक में मुख्यतः कतिपय भुगतानों पर कटौती; और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर वरीयता उपलब्ध है। तथापि, 50% व्यष्टि करदाता मुख्यतः वेतन से अपनी आय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ, गैर वेतन भोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

अधिनियम के अध्याय viक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राजस्व परित्याग का 31 मार्च, 2009 तक आयकर विभाग में व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई 34,58,654 विवरणियों में कर तरजीहों के विभिन्न दावों के आधार पर अनुमान लगाया गया है। व्यष्टि करदाताओं के विभिन्न कर लाभों के कारण राजस्व परिव्यय को सारणी 7 में दिखाया गया है।

वर्ष 2007-08 के वित्त वर्ष के राजस्व परित्याग के आंकड़ों के आधार पर, चालू वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान व्यष्टि करदाताओं से वर्ष में संग्रहीत वास्तविक आयकर (89,804 करोड़ रुपए) के संबंध में वर्ष 2007-08 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर राजस्व परित्याग के अनुपात से परिकलित करके लगाया गया है और तत्पश्चात इसी अनुपात को 2008-09 में व्यष्टियों से वास्तविक आयकर संग्रहणों (96,233 करोड़ रुपए) पर लागू किया गया है।

अध्याय viक के अलावा, वित्त वर्ष 2007-08 में व्यष्टि करदाताओं से संबंधित अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष या इससे आयु के व्यक्ति) और महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों से भिन्न) के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमाएं थी।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च बुनियादी कर छूट सीमाओं के कारण राजस्व परित्याग की गणना प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक और महिला के लिए राजस्व परित्याग को उनकी संख्या से गुणा करके की गई है। उनके द्वारा दायर नमूना विवरणियों के प्रतिशत की गणना करके उनकी संख्या का अनुमान लगाया गया है। इसके पश्चात, वित्त वर्ष 2007-08 के लिए व्यष्टियों द्वारा दायर विवरणियों की कुल संख्या पर इस प्रतिशत को लागू किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई कुल नमूना विवरणियां 34,58,654 हैं।

वित्त वर्ष 2007-08 के लिए व्यष्टियों द्वारा दायर विवरणियों की कुल संख्या 2,66,18,409 थी। नमूना विवरणियों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कुल विवरणियों का 4.8 प्रतिशत तथा महिलाओं द्वारा शेष की 30.6% विवरणियां दायर की गई। इस प्रकार, 1,95000 रुपए की उच्च छूट सीमा का लाभ उठाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 12,77,684 है। इसी तरह, 1,45,000 रुपए की उच्च छूट सीमा का लाभ उठाने वाली महिलाओं (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं) की संख्या 77,54,261 है। प्रति वरिष्ठ नागरिक राजस्व परित्याग 13,390 रुपए है क्योंकि 1,95,000 रुपए की आय कर की देयता (शिक्षा उपकरण समेत) 13,390 रुपए है। इसी प्रकार, प्रति महिला (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है) राजस्व परित्याग 3,605 रुपए है क्योंकि 1,45,000 रुपये की आय पर यही देयता बनती है।

वित्त वर्ष 2007-08 के लिए वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं द्वारा दायर विवरणियों की तुलना में वित्त वर्ष 2008-09 के लिए उनके द्वारा विवरणियों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर 2008-09 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च बुनियादी छूट सीमाओं (क्रमशः 2,25,000 रुपए और 1,85,000 रुपए) ध्यान में रखकर प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक और महिला (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है) के कारण राजस्व परित्याग की गणना की गई है। परिणामी आंकड़े क्रमशः 7,725 करोड़ रुपये और 3,090 करोड़ रुपए हैं। इसके पश्चात ऐसे प्रत्येक करदाता के कारण राजस्व परित्याग को उनकी संख्या से गुणा किया गया है।

सारणी 7 वित्त वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से व्यष्टि करदाताओं पर मुख्य कर व्यय को दर्शाती है।

**सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान व्यष्टि करदाताओं पर मुख्य कर व्यय**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपये में) (2007-08)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपये में) (2008-09)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80 ग)	25573	27389
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	158	169
3	नई पेंशन स्कीम में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	12	13
4	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (धारा 80घ)	670	718
5	अश्रित विकलांग के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	66	71
6	विशेषीकृत बीमारियों के चिकित्सीय इलाज हेतु व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघघ)	27	29
7	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर व्याज के कारण कटौती (धारा 80ड)	93	100
8	धर्मार्थ द्रस्टों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	381	408
9	हाउसिंग एकोमोडेशन हेतु चुकाए गये किराये के कारण कटौती (धारा 80छछ)	77	82
10	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (धारा 80छछक)	13	14
11	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (धारा 80 छछग)	10	11

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपये में) (2007-08)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपये में) (2007-08)
12	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रम, सेज और औद्योगिक पार्कों, विद्युत उत्पादन और दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने से हुए लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	52	56
13	सेज अधिनियम 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 18-झकज)	7	7
14	हाउसिंग परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास, खाद्यान्नों, जम्मू -कश्मीर और अन्य पिछड़ा क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों को खाद्यान्नों के संचालन, भण्डारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	1236	1324
15	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	655	702
16	जैव-अपचयन अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण उद्योग से हुए लाभों की कटौती (धारा 80ञजक)	45	48
17	भारतीय भाषाओं में लिखित पाठ्य-पुस्तकों के लेखकों की व्यावसायिक आय की कटौती (धारा 80थथक)	शून्य	शून्य
18	पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	7	7
19	पैटेट पर रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख)	शून्य	शून्य
20	विकलांगों के मामले में कटौती (धारा 80प)	98	105
21	वरिष्ठ नागरिकों हेतु उच्च छूट सीमा	1711	1036
22	महिलाओं हेतु उच्च छूट सीमा जोड़	2387	2148
		<b>33278</b>	<b>34437</b>

सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न बचत लिखतों में निवेश, आवास ऋण की पुनःअदायगी एवं बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क की अदायगी (आयकर अधिनियम की धारा 80ग) के कारण कर व्यय एक व्यष्टि करदाता के मामले में सबसे बड़ा कर व्यय है। जहां तक लाभ आधारित कटौतियों का संबंध है, सबसे बड़ा कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झख के कारण होता है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं के सम्बन्ध में उच्च बुनियादी-छूट सीमाएं भी महत्वपूर्ण हैं।

#### अप्रत्यक्ष कर

##### (क) उत्पाद शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची एक एवं दो में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जाता है। कुछ अन्य शुल्क जैसे कि, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा शुल्क एवं शिक्षा उप कर भी हैं जिन्हें उत्पाद शुल्क के रूप में भी लिया जाता है। कई मामलों में, विभिन्न वित्त अधिनियम उन दरों की भी विनिर्दिष्ट करते हैं जिन पर इन शुल्कों का उद्ग्रहण किया जाएगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(1) के अन्तर्गत सरकार को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि वह किन्हीं व्यय को उत्पाद शुल्क से या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सके। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केन्द्र सरकार अनुसूचियों में विहित दरों से कम दर पर शुल्क दरें निहित कर सकता है। अधिसूचनाओं द्वारा विहित इन दरों को "प्रभावी" दर के रूप में जाना जाता है।

तदनुसार, परित्यक्त राजस्व अधिसूचना के जारी होने के पूर्व संदेय शुल्क एवं संगत अधिसूचना के संदर्भ में वास्तविक देय शुल्क के मध्य अन्तर को कहते हैं। इसलिए :

$$\text{परित्यक्त राजस्व} = \text{मूल्य} \times (\text{शुल्क की टैरिफ दर} - \text{शुल्क की प्रभावी दर})$$

इस प्रकार यदि टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर है तो परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

ऐसा माल जिस पर विशिष्ट शुल्क की दरें लागू हैं, पर परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों को मात्रा के स्थान पर रख कर निकाला जाता है। इस तरह से परित्यक्त शुल्क शून्य होगा यदि टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर है।

वर्ष 2006-07 के बजट में वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 के लिए परित्यक्त राजस्व के आकलन की शुरूआत की गई थी। ये आकलन शुल्क अदा करने

वाली इकाइयों द्वारा दायर की गई आवधिक विवरणियों से प्राप्त सूचनाओं एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 23 विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों 4 बड़ी शुल्क अदा करने वाली इकाइयों द्वारा की गई प्रविष्टियों के आधार पर आंकड़े एकत्र करने वाली प्रणाली के आधार पर एसईआरएमओएन डेटाबेस से किए गए थे। तथापि, व्यापक कम्प्यूटरीकरण की अनुपस्थिति में परित्यक्त राजस्व को निश्चित रूप से सही-सही आकलित करना कठिन था।

कम्प्यूटरीकरण का स्तर बढ़ने और व्यापक होने तथा सरमन द्वारा बेहतर ढंग से आंकड़े प्राप्त करने के कारण, 2006-07 में परित्यक्त राजस्व की गणना में पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा शुद्धता थी।

वर्ष 2006-07 को परित्यक्त (अनन्तिम) संशोधित शुल्क सर्वन डेटाबेस पर आधारित था, जिसमें पूरे वर्ष में वसूले गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 93 प्रतिशत राशि आती है। 100% कवरेज के साथ परित्यक्त संशोधित (अनन्तिम) शुल्क की गणना यह मान कर की गयी थी कि शेष 7 प्रतिशत में भी वही आंकड़े उपलब्ध होंगे। साफ्टवेयर से सम्बन्धित तथा साथ ही साथ अन्य डेटा इन्टीग्रेशन समस्याओं के कारण, शेष 7% के वास्तविक आंकड़े केन्द्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जा सके कि सर्वन डेटाबेस में प्रविष्टि की जा सकती, इससे यह जरूरी हो जाता है कि वर्ष 2006-07 के संशोधित (अनन्तिम) परित्यक्त शुल्क (75475 करोड़ रुपए) का बदला न जाए और इसे वर्ष 2006-07 के लिए अनन्तिम आंकड़ा माना जाए।

वर्ष 2007-08 के अनुमान सर्वन डेटाबेस पर आधारित थे जो कि वर्ष के पहले 6 महीने के उपलब्ध थे जिसका कवरेज लगभग 84 प्रतिशत का था। फिर पूरे वर्ष के अनुमानों को शेष 6 महीने के आंकड़ों को लेकर संगणित किया गया, यह मानते हुए कि यही आंकड़े अगले 6 महीने में भी रहे होंगे। 2007-08 के परित्यक्त शुल्क का संशोधित आंकड़ा भी सर्वन डेटा पर आधारित है जोकि पूरे वर्ष के बारे में उपलब्ध हैं और इसमें राजस्व संकलन का 85% हिस्सा शामिल है। अतः संशोधित परित्यक्त शुल्क 87468 करोड़ रुपए बैठता है जोकि यह मानते हुए संगणित किया गया है कि शेष 15 प्रतिशत में भी आंकड़ों का यही प्रतिमान रहा होगा।

वर्ष 2008-09 के परित्यक्त राजस्व अनुमान के लिए पहले 6 महीने के सरमन डेटा को, जिसमें वास्तविक राजस्व संग्रहण का लगभग 75% भाग शामिल है, परित्यक्त शुल्क की गणना का आधार माना गया है। हालांकि, इस मान्यता को कि पूरे वर्ष भर में यह डेटा प्रतिमान बना रहा होगा, छोड़ दिया गया है। ऐसा इस लिए हुआ है कि 2008-09 के उत्तराध्य में विश्व में आई अचानक मन्दी के कारण यहां अर्थव्यवस्था में आयी सामान्य गिरावट का सामना करने के एक उपाय स्वरूप लागू उत्पाद शुल्क दर में 7-12-2008 को सभी जगह 4% की कटौती कर दी गई थी। बाद में 24-2-2009 को उत्पाद शुल्क की 10% की औसत दर में भी 2% की कमी करके इसे 10% से 8% कर दिया गया था। इसीलिए संगणना की गई है जिससे कि उत्पाद शुल्क की संरचना में आये इन खास परिवर्तनों के कारण परित्यक्त ड्यूटी के अनुमान पर पड़ने वाले प्रभाव को समायोजित किया जा सके।

सरमन द्वारा परित्यक्त राजस्व के जो आंकड़े लिए गए हैं उनमें क्षेत्र आधारित छूट स्कीम के प्रचालन के कारण परित्यक्त राजस्व शामिल नहीं है। यह आंकड़ा सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन से अलग-अलग एकत्र किया गया है।

वर्ष 2008-09 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान अर्थात् 128293 करोड़ रुपए गत वर्ष के तदनुरूपी 87468 करोड़ रुपए के आंकड़े की तुलना में काफी वृद्धि दर्शाता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि बजट 2008-09 में 16 प्रतिशत की मध्य प्रभावी शुल्क दर ज्यादातर उत्पाद शुल्क के मामलों से उद्ग्रहीत टैरिफ दर होने के नाते बजट 2008-09 में कम होकर 14 प्रतिशत हो गयी थी, इसके फलस्वरूप पेट्रोल तथा डीजल के उत्पाद शुल्क दरों में क्रमशः लगभग 16% तथा 33% की भारी कमी आयी। बाद में जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, प्रभावी शुल्क दरों में दिसम्बर 2008 तथा फरवरी 2009 में और कमी की गई। चूंकि टैरिफ दरों, जो 16% के बजट पूर्व स्तर पर जारी की, ये कोई तदनुरूपी कमी नहीं हुई, परित्यक्त समग्र शुल्क-टैरिफ दर एवं प्रभावी दर के मध्य अंतर-पूर्व वर्ष की तुलना में 2008-09 में लगभग 47% की वृद्धि हुई।

नीचे सारणी 8 में परित्यक्त राजस्व आंकड़े दिये गये हैं।

**सारणी 8 : उत्पाद शुल्क प्रशासन के अन्तर्गत कर व्यय**

क्रम सं.	छूट का विवरण	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए में)		
		2007-08		2008-09 अनुमान*
		अनुमान	संशोधित (अनन्तिम)	
1.	पूर्वीतर राज्य, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, एवं गुजरात के कच्छ जिले में क्षेत्र आधारित छूट लागू है	8550	8073	10327
2.	अन्य	79442	79395	117966
<b>कुल</b>		<b>87992</b>	<b>87468</b>	<b>128293</b>

\*वर्ष 2008-09 के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित (अप्रैल-सितम्बर 2008)

प्रस्तुत परित्यक्त राजस्व के अनुमानों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(2) के अन्तर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण परित्यक्त राजस्व शामिल नहीं है, जिसका संबंध आपवादिक स्वरूप की परिस्थितियों से है।

#### (ख) सीमा शुल्क

सीमाशुल्क टैरिफ, 1975 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीमाशुल्क का उद्ग्रहण किया जाता है जिसे टैरिफ दर कहते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण को भी विनिर्दिष्ट करता है। (सामान्यतः इसे प्रतिकारी शुल्क अथवा सीमा शुल्क कहा जाता है), जो कि ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के बराबर की दर पर उद्ग्रहीत किया गया हो, यदि ऐसे माल भारत में ही विनिर्मित हों। उत्पाद शुल्क से संबंधित शुल्क या तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 अथवा विभिन्न वित्त अधिनियमों के अन्तर्गत अधिरोपित किए जाते हैं, जो यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि किस दर पर शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रायोजित की गई हैं ताकि वह लोक हित में किसी भी माल को सीमा शुल्क के प्रभाव से मुक्त कर सके। अधिसूचनाओं द्वारा विहित ये दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती हैं।

सीमा शुल्क के संबंध तदनुसार परित्यक्त राजस्व को इस तरह से अधिसूचना के जारी न होने की स्थिति में संदेश शुल्क एवं संगत अधिसूचना के संबंध में वास्तविक देय शुल्क के बीच के अन्तर को कहा जाता है। अन्य शब्दों में :-

### परित्यक्त राजस्व मूल्य x (शुल्क की टैरिफ़ दर - शुल्क की प्रभावी दर)

इस तरह से यदि टैरिफ़ दर प्रभावी दर के बराबर है तो परित्यक्त शुल्क शून्य होगा।

विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अन्तर्गत परित्यक्त राजस्व का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज (ईडीआई) अवस्थानों में भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज सिस्टम (आईसीईएस) में फाइल आगमपत्रों से उत्पन्न आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। तथापि, चूंकि ईडीआई प्रणाली इओयू द्वारा किए गए आयातों, भण्डागारों के माध्यम से निकासियों, पत्तनों के माध्यम से आयातों, जो या तो ईडीआई कवरेज से बाहर हैं अथवा आगमपत्रों को व्यक्तिगत तौर से दाखिल कर रहे हों, के सम्बन्ध में आंकड़े ग्रहण नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास उपलब्ध ईडीआई डेटा से परित्यक्त सीमाशुल्क राजस्व की पूरी तस्वीर प्रकट नहीं होती है।

परित्यक्त राजस्व आंकड़े, प्राथमिक सीमा शुल्क, प्रतितुलन शुल्क से एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत जारी छूट की अधिसूचनाओं, जो कि प्रतितुलन शुल्क के उद्ग्रहण से संबंधित हैं, को समाहित करते हैं। यह 4% प्रतिशत के विशेष प्रतितुलन शुल्क से छूट को भी शामिल करता है।

वर्ष 2007-08 के लिए ईडीआई द्वारा संग्रहीत सकल सीमाशुल्क राजस्व 104322 करोड़ रुपए के वास्तविक सकल राजस्व संग्रहण की तुलना में 85,516 करोड़ रुपए है। इस तरह से ईडीआई आंकड़े वर्ष 2007-08 के लिए वास्तविक सूचित राजस्व संग्रहण का 82 प्रतिशत हिस्सा प्रस्तुत करता है। जबकि 2005-06 में यह तदनरूप आंकड़ा 73% था इसलिए परित्यक्त राजस्व अनुमान काफी बड़े नमूनों पर आधारित है।

वर्ष 2007-08 के अनंतिम परित्यक्त राजस्व की गणना करने के लिए ईडीआई डेटा को जहां जरूरत पड़ी, समुचित समायोजनों के पश्चात् बढ़ाया गया है। चूंकि ईडीआई डेटा में साद्य तेलों, पेय, खनिजों एवं अयस्कों, पेट्रोलियम उत्पादों/अपरिष्कृत पेट्रोलियम के राजस्व को पर्याप्त रूप से समाहित नहीं करते जिनका सीमाशुल्क अवस्थाओं के माध्यम से सामान्यतः थोक सामान के रूप में आयात किया जाता है, जो ईडीआई (अर्थात् छोटे पत्तन) पर नहीं होते, अतः इन मदों से प्राप्त वास्तविक राजस्व के आंकड़ों को अलग से संग्रहित किया गया। वर्ष 2007-08 के उपलब्ध ईडीआई डेटा में इन वस्तुओं से प्राप्त वास्तविक राजस्व को जोड़ने पर, कवरेज 95948 करोड़ रुपए या, सकल राजस्व का लगभग 92% बढ़ गया।

पूरा कवरेज प्राप्त करने के लिए समुचित समायोजन किए जाने के बाद, सभी छूट अधिसूचनाओं के कारण वर्ष 2007-08 का परित्यक्त शुल्क (अनंतिम) 153592 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2008-09 के अनुमानित परित्यक्त राजस्व (अनंतिम) की गणना करने के लिए, यही पद्धति अपनायी गयी तथा अप्रैल 2008-मार्च 2009 की अवधि के राजस्व आंकड़ों का 225752 करोड़ रुपए का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए बहिर्वेशन किया गया, जिससे पता चला कि पिछले साल के परित्यक्त राजस्व से यह 47% अधिक है।

2008-09 (अनुमानित) के परित्यक्त राजस्व में वृद्धि वर्ष 2008-09 में खाद्य तेल, अयस्क और सांद्र, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, तथा लोहे एवं इस्पात पर सीमाशुल्क में छूट देने के कारण हुई। इसके अलावा, उत्पाद शुल्क में भारी कटौती ने वर्ष 2008-09 उत्तरार्ध में प्रेरक पैकेज के रूप में प्रभावित किया जिससे सीवीडी और विशेष सीवीडी संग्रहण में कमी हुई, जिससे परित्यक्त राजस्व में वृद्धि हुई।

वर्ष 2007-08 और 2008-09 की अवधि में प्रमुख जिस समूहों के कारण परित्यक्त सीमाशुल्क तथा समग्र परित्यक्त शुल्क में उनका हिस्सा नीचे सारणी में इस प्रकार दिया गया है:

**सारणी 9: प्रमुख जिस समूहों के कारण परित्यक्त सीमाशुल्क**

(करोड़ रुपए में)

जिंस समूह	2007-08		2008-09	
	शुल्क	% हिस्सा	शुल्क	% हिस्सा
अपरिष्कृत तेल और खनिज	26709	17.4	47424	21
मशीनरी	26040	17	31262	13.8
हीरक, स्वर्ण एवं आभूषण	25587	16.7	27649	12.2
खाद्य सब्जी, फल, अनाज				
खाद्य तेल	15518	10	26841	11.9
प्राथमिक धातुएं एवं उनसे बनी चीजें	11048	7.2	14960	6.6
रसायन एवं प्लास्टिक्स	10336	6.7	15707	7
कपड़े	8311	5.4	11085	5
उर्वरक	5307	3.5	14200	6.3
लवण एवं खनिज	4170	2.7	9726	4.3
औषधियां	1543	1	3385	1.5

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रत्येक अध्याय के लिए परित्यक्त राजस्व आंकड़ा सारणी 10 में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

**सारणी 10: सीमाशुल्क क्षेत्र के अधीन मुख्य कर व्यय के अनुमान**

(करोड़ रुपए में)

अध्याय	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	2007-08 (अनन्ति)	2008-09 (अनुमानित)
1	जीवित पशु	1	2
2	मांस एवं खाद्य मांस का कूड़-कर्कट	0	4
3	मछली तथा क्रस्टेशियन, अन्य जलचर अक्षेरुकी	18	25
4	डेरी उत्पाद	17	52
5	पशु मूल के अन्य उत्पाद	22	16
6	जीवित वृक्ष तथा अन्य पौधे	4	6
7	खाद्य सब्जियां, कतिपय कंद मूल	3106	3601
8	खाद्य फल तथा गिरीदार फल	1064	1656
9	काफी, चाय, मेट तथा मसाले	541	621
10	अनाज	3009	87
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद	9	21
12	तिलहन, खाद्यान्न, बीज, फल	130	214
13	लाख, गोंद तथा राल	149	163
14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री	1	1
15	पशु अथवा वनस्पति वसा	8340	21497
16	मांस अथवा मछली से निर्मित उत्पाद	6	11
17	चीनी	59	408
18	कोको	25	49
19	अनाज से निर्मित उत्पाद	35	29
20	वनस्पति से निर्मित उत्पाद	13	22
21	विविध खाद्य उत्पाद	130	243
22	पेय तथा स्प्रिट	57	229
23	खाद्य उद्योग के अवशिष्ट तथा कूड़ा	100	161
24	तम्बाकू	6	12
25	नमक, गंधक तथा शिला	405	978
26	अयस्क	3765	8748
27	खनिज ईंधन तथा खनिज तेल	26709	47424
28	अकार्बनिक रसायन	2156	4879
29	कार्बनिक रसायन	6112	7700
30	भेषज उत्पाद	1543	3385
31	उर्वरक	5308	14200
32	चमड़ा तथा रंगाई अर्क, रंजक	291	450
33	आवश्यक तेल	161	282
34	साबुन तथा धुलाई सामग्री	80	135
35	एलबुमिनोडल पदार्थ	61	100
36	विस्फोटक सामग्री, माचिस	8	10
37	फोटोग्राफी सामग्री	38	113
38	विविध रसायन उत्पाद	1102	1657
39	प्लास्टिक	2068	3128
40	रबड़	894	1316
41	खाल और त्वचा तथा चमड़ा	262	300
42	चमड़े का सामान	20	43
43	समूर	3	3
44	लकड़ी	1128	1167
45	कार्क	1	2
46	घास फूस की वस्तुएं	0	0
47	काष्ठ की लुगदी	295	383

क्रम सं.	योजना का नाम	2007-08 (अनंतिम)	2008-09 (अनुमानित)
48	कागज	856	1426
49	मुद्रित पुस्तकें, अखबार	525	365
50	रेशम	333	453
51	ऊन	332	293
52	कपास	2620	1183
53	अन्य वनस्पति रेशे	54	49
54	मानव निर्मित फिलामेंट	2929	3764
55	मानव निर्मित स्टेपल रेशा	379	408
56	वेडिंग एवं बुनाई रहित	26	34
57	गलीचे	17	26
58	विशेष बुनी फेब्रिक्स	1025	4025
59	परत चढ़े हुए टेक्सटाइल फेब्रिक्स	384	565
60	बुने हुए फेब्रिक्स	132	164
61	बुने हुए तैयार पहनावे	10	23
62	बुने हुए पहनावे	36	60
63	तैयार सामग्री	34	39
64	जूते	154	169
65	सिर के उपसाधन	1	2
66	छाते	9	16
67	पंख/कृत्रिम पुष्प	3	12
68	पत्थर, प्लास्टर की वस्तुएं	69	133
69	मृतिका के उत्पाद	198	316
70	शीशा और शीशे की वस्तुएं	156	208
71	कीमती रत्न, आभूषण	25586	27649
72	लोहा तथा इस्पात	5917	8634
73	लोहे और इस्पात की वस्तुएं	2793	3371
74	तांबा और उसकी वस्तुएं	604	654
75	निकेल और उसकी वस्तुएं	270	230
76	एल्यूमिनियम और उसकी वस्तुएं	748	976
78	सीसा और उसकी वस्तुएं	58	172
79	जस्ता और उसकी वस्तुएं	170	159
80	टिन और उसकी वस्तुएं	39	74
81	अन्य मूल धातुएं	63	118
82	औजार और उपसाधन	285	411
83	मूल धातुओं की विविध वस्तुएं	101	160
84	मशीनरी	15905	18567
85	वैद्युत मशीनरी	10135	12695
86	रेलवे अथवा ट्रामवेज लोकोमोटिव रोलिंग स्टाक आदि	119	357
87	मोटर वाहन	3000	3010
88	वायुयान	1915	2072
89	जहाज, नाव और तैरने वाले ढांचे	2061	2432
90	दृश्य/फोटोग्राफिक औजार	2922	3404
91	घड़ी और हाथ घड़ी	16	49
92	संगीत वाद्य	1	9
93	हथियार एवं आयुध	88	166
94	फर्नीचर	230	306
95	खिलौने एवं खेल वस्तुएं	111	181
96	विविध निर्मित वस्तुएं	166	177
97	कलाकृतियां, प्राचीन वस्तुएं	64	27
98	परियोजना आयात, साज सामान	690	425
	जोड़	153593	225752

उपर्युक्त आंकड़ों में प्रतिदाय से परित्यक्त राजस्व को छोड़कर विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं की वजह से परित्यक्त राजस्व शामिल है। विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए विभाजन अलग से नीचे दिया गया है। इनमें से केवल डीएफसीई, टारगेट प्लस, वीकेजीयूवाई और भारत से दी जाने वाली सेवाएं एवं फोकस मार्केट प्रोत्साहन योजनाएं हैं। शेष या तो निवेश कर निष्क्रियन या छूट की योजनाएं हैं। इसमें मोटे तौर पर निवेश कर ऋण मौजूद है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे निर्यातकों के लिए एक समान कारोबारी क्षेत्र प्रदान करने के लिए अनुमत किया जाना है। इस अर्थ में सीमा शुल्कों से परित्यक्त राजस्व को कम करके बाद वाली श्रेणी में आने वाली विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए परित्यक्त राजस्व तक लाया जाना चाहिए। नीचे की सारणी संख्या 11 में क्रम संख्या 15 में दर्शायी गई राशि परित्यक्त राजस्व की राशि को दर्शाती है।

#### सारणी: 11 निर्यात संवर्धन रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	योजना का नाम	2007-08 (अनन्तिम)	2008-09 (अनुमानित)
1	अग्रिम लाइसेंस योजना	17654	12389
2	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी	18978	13401
3	ईपीसीजी	10521	7833
4	डीईपीबी योजना	5341	7092
5	एसईजेड	1804	2324
6	डीएफआरसी	607	111
7	शुल्कमुक्त आयात प्राधिकार योजना	1359	1268
8	डीएफसीई योजना	740	418
9	लक्ष्य सह योजना	923	1220
10	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना	538	2059
11	सर्व फ्राम इंडिया स्कीम	642	531
12	फोकस मार्केट स्कीम	41	408
13	योग	59149	<b>49053</b>
14	घटाइए-क्र.सं. 8 से 12 में उल्लिखित प्रोत्साहन योजनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व	<b>2884</b>	<b>4636</b>
15	सीमा शुल्क के कारण सकल परित्यक्त राजस्व से निविष्टि कर निष्प्रभावन अथवा छूट योजना की वजह से परित्यक्त राजस्व	<b>56265</b>	<b>44417</b>

उपर्युक्त अनुमानों में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की घारा 25(2) के तहत जारी तदर्थ छूट संबंधी अधिसूचनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व को शामिल नहीं किया गया है, जो अपवाद प्रकृति परिस्थियों से संबंधित है।

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी परित्यक्त राजस्व के आंकड़े सारणी 12 में दिए गए हैं।

#### सारणी 12: वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 में परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए)

	वर्ष 2007-08 में परित्यक्त राजस्व	वर्ष 2007-08 में सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व	वर्ष 2008-09 में परित्यक्त राजस्व	वर्ष 2008-09 सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व
कॉर्पोरेट आयकर	62199	10.50	68914	11.36
व्यक्तिगत आयकर	38057	6.43	39553	6.52
उत्पाद शुल्क	87468	14.77	128293	21.16
सीमा शुल्क	153593	25.95	225752	37.23
जोड़	341317	57.67	462512	76.28
घटाइए-निर्यात क्रेडिट से संबद्ध (तालिका 11 का क्रम संख्या 15)	56265	9.50	44417	7.32
<b>कुल जोड़</b>	<b>285052</b>	<b>48.16</b>	<b>418095</b>	<b>68.95</b>

टिप्पणी: (1) सकल कर संग्रहण का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा संग्रहित निवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का योग  
(2) सकल कर संग्रहण के 2007-08 और 2008-09 के आंकड़े वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं।

**निष्कर्ष:** परित्यक्त राजस्व की राशि वर्ष-दर वर्ष बढ़ती जा रही है। सकल कर संग्रह के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व अधिक बना रहेगा, और वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए जहां निगमित आय कर का संबंध है वह बढ़ी हुई प्रवृत्ति दर्शाता है। अप्रत्यक्ष कर के मामले में सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2008-09 में विशेष वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है। इसलिए उच्च कर वृद्धि को बनाए रखने के लिए इस प्रवृत्ति को बदलना आवश्यक है।

## परिशिष्ट

उद्योग में सैम्पल कम्पनियों का अधिभार और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर  
(वित्त वर्ष 2007-08) (सैम्पल आकार-409573)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	कुल भुगतान योग्य कर (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	कृषि आधारित उद्योग	10,148	5,211	1,169	22
2	विनिर्माण	ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स	3,860	22,548	5,434	24
3	विनिर्माण	सीमेंट	671	13,814	2,900	21
4	विनिर्माण	हीरा कटिंग	415	947	207	22
5	विनिर्माण	दवाइयां और भेषज	4,970	15,669	2,623	17
6	विनिर्माण	इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित	2,564	5,936	1,395	24
7	विनिर्माण	अभियांत्रिकी सामान	8,890	22,230	6,634	30
8	विनिर्माण	खाद, रसायन और पेंट्स	3,740	10,946	2,660	24
9	विनिर्माण	आटा और चावल मिलें	1,215	377	93	25
10	विनिर्माण	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	2,341	2,827	714	25
11	विनिर्माण	मार्बल और ग्रेनाइट	1,850	765	187	24
12	विनिर्माण	कागज	1421	7,044	1,812	26
13	विनिर्माण	पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन	702	78,158	16,387	21
14	विनिर्माण	विद्युत और ऊर्जा	2,385	35,298	5,787	16
15	विनिर्माण	छपाई और प्रकाशन	2,456	2846	888	31
16	विनिर्माण	रबड़	959	521	97	19
17	विनिर्माण	स्टील	4,566	27,952	6,910	25
18	विनिर्माण	चीनी	251	4,077	122	3
19	विनिर्माण	चाय और कॉफी	953	1,009	162	16
20	विनिर्माण	वस्त्र, हथकरघा और बिजली करघा	9,587	5,813	947	16
21	विनिर्माण	तम्बाकू	307	426	104	25
22	विनिर्माण	टायर	166	1,659	362	22
23	विनिर्माण	वनस्पति एवं खाद्य तेल	662	674	155	23
24	विनिर्माण	अन्य	49,393	95,808	23,666	25
25	व्यापार	चेन स्टोर	726	262	60	23
26	व्यापार	खुदरा विक्रेता	9,208	1,468	425	29
27	व्यापार	थोक विक्रेता	15,624	5,536	1,406	25
28	व्यापार	अन्य	59,298	22,714	5,656	25
29	कमीशन एजेन्ट	जनरल कमीशन एजेन्ट्स	39,444	10,844	287	26
30	बिल्डर्स	बिल्डर्स	13,028	6,538	1,456	22
31	बिल्डर्स	एस्टेट एजेन्ट्स	2,885	281	73	26
32	बिल्डर्स	सम्पत्ति डेवलपर्स	20,139	23,011	4,158	18
33	बिल्डर्स	अन्य	13,454	2,966	571	19
34	ठेकेदार	सिविल ठेकेदार	6,974	8,036	2,072	26
35	ठेकेदार	उत्पाद शुल्क ठेकेदार	23	5	1	20
36	ठेकेदार	वन ठेकेदार	10	3	1	33
37	ठेकेदार	खान ठेकेदार	458	1,285	268	21
38	ठेकेदार	अन्य	6,590	4,476	1,397	31
39	पेशेवर	चाटर्ड एकाउटेन्ट्स, ऑडिटर इत्यादि	78	5	1	20
40	पेशेवर	फैशन डिजाइनर	68	8	2	25
41	व्यावसायिक	वैद्य व्यावसायिक	205	21	8	40
42	व्यावसायिक	चिकित्सीय व्यावसायिक	1,027	165	43	26
43	व्यावसायिक	नर्सिंग होम्स	949	83	22	27

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	कुल भुगतान योग्य कर (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (%) में
44	व्यावसायिक	विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल	701	224	54	24
45	व्यावसायिक	अन्य	4,257	797	250	31
46	सेवा	विज्ञापन एजेंसी	2,082	1,070	339	32
47	सेवा	ब्यूटी पार्लर	148	31	8	26
48	सेवा	परामर्श सेवा	11,055	11,314	1,928	17
49	सेवा	कॉरीयर एजेंसी	477	380	138	36
50	सेवा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण, शिक्षा और कोचिंग संस्थान	2,359	899	229	25
51	सेवा	फॉरेक्स वितरक	508	48	14	30
52	सेवा	आतिथ्य सेवा	2,563	1,862	552	30
53	सेवा	होटल	5,678	4,396	1,109	25
54	सेवा	आईटी आधारित सेवा, बीपीओ सर्विस प्रदाता	7,181	16,816	2,559	15
55	सेवा	सुख्खा संबंधी एजेंसी	1,048	247	83	34
56	सेवा	सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी	9,172	23,475	2,922	12
57	सेवा	वाहक	3,383	5,710	1,195	21
58	सेवा	ट्रेवल्स एजेंट और टूर ऑपरेटर	3,063	647	196	30
59	सेवा	अन्य	41,844	53,609	9,867	18
60	वित्तीय सेवा	बैंकिंग कम्पनी	327	62,093	18,054	29
61	वित्तीय सेवा	चिट फण्ड	2554	211	64	30
62	वित्तीय सेवा	वित्तीय संस्थान	316	7,161	2,074	29
63	वित्तीय सेवा	वित्तीय सेवा प्रदाता	3,057	4,548	1,138	25
64	वित्तीय सेवा	लीजिंग कम्पनी	758	978	184	19
65	वित्तीय सेवा	धन प्रदाता	452	1,409	461	33
66	वित्तीय सेवा	गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ	8,682	21,077	4,009	19
67	वित्तीय सेवा	शेयर दलाल, उप-दलाल इत्यादि	3,785	9,529	2,224	23
68	वित्तीय सेवा	अन्य	19,030	36,436	7,543	21
69	मनोरंजन संबंधी उद्योग	केबल टी.वी. प्रस्तुति	218	134	36	27
70	मनोरंजन संबंधी उद्योग	फिल्म वितरण	306	141	31	22
71	मनोरंजन संबंधी उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	43	60	4	7
72	मनोरंजन संबंधी उद्योग	चलचित्र निर्माता	394	350	96	27
73	मनोरंजन संबंधी उद्योग	टेलीविजन चैनल	229	1,417	520	37
74	मनोरंजन संबंधी उद्योग जोड़	अन्य	4,742	3,634	947	26
			<b>4,09,573</b>	<b>7,11,206</b>	<b>1,58,149</b>	<b>22</b>